न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2013 (निगरानी)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2013/00019

उनवान

श्रवण कुमार आत्मज नन्दलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड न.6 सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

(निगराकार)

बनाम

1. इमरान पुत्र इनायत हुसैन जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर हाल म.न. 420 बडी मस्जिद के पास विज्ञाननगर कोटा।
2. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत सुल्तानपुर तहसील दीगोद,जिला कोटा

(गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री धनश्याम नागर (निगराकार)

2. पेरोकार सरकार उपस्थित

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान ग्राम पंचायत राज अधिनियम वास्ते निरस्त किये जाने पट्टा दिनांक 5.01.2002

निर्णय दिनांक : 15/5/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार कम 1 के पक्ष में जारी पट्टा विधि,न्याय एवं संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यों के विपरीत है। ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही पट्टा जारी किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। ग्राम पंचायत ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि गैर निगराकार के पक्ष में पट्टा जारी होने वाली जगह वार्ड न. 6 तथा आस पास के सभी नागरिकों का रास्ता है जिसके संबध में पूर्व में भी ग्राम पंचायत के संमक्ष रास्ता के संबध में विवाद होने पर दिनांक 12.11.83 को उक्त भूमि पर रास्ता होना मानकर फैसला किया था,किन्तु फिर भी बिना खोजबीन किये तथा मौके की स्थिति का जायजा लिये बिना ही मिलीभगत कर एक पक्षीय कार्यवाही कर गैर

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

निगराकार के साथ मिलकर पट्टा जारी कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। उक्त विवादित पट्टा वाली भूमि के आसपास कई एस.सी. व एस.टी. के लोगो की बस्ती है जिनको परेशान करने के ध्येय से तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि गैरनिगराकार को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 6.6.94 पैमाईश 40/30 किया गया है जिस पर लगभग 15 फिट रास्ते की भूमि का भी पट्टा गैरनिगराकार के पक्ष में कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार कम 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 5.01.2002 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगराकार की तलबी जर्ये समन्न की गई। गैरनिगराकार कम 1 की ओर से अभिभाषक चांद हुसेन द्वारा वकालतनामा पेश किया। गैरनिगराकार कम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

पत्रावली मे बहस सुनी गई। अभिभाषक निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार कम 1 के पक्ष में जारी पट्टा विधि,न्याय एवं संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यों के विपरीत है। ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही पट्टा जारी किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। ग्राम पंचायत ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि गैर निगराकार के पक्ष में पट्टा जारी होने वाली जगह वार्ड न.6 के तथा आस पास के सभी नागरिकों का रास्ता है जिसके संबध में पूर्व में भी ग्राम पंचायत के संमक्ष रास्ता के संबध में विवाद होने पर दिनांक 12.11.83 को उक्त भूमि पर रास्ता होना मानकर फैसला किया था,किन्तु फिर भी बिना खोजबीन किये तथा मौके की स्थिति का जायजा लिये बिना ही मिलीभगत कर एक पक्षीय कार्यवाही कर गैर निगराकार के साथ मिलकर पट्टा जारी कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। उक्त विवादित पट्टा वाली भूमि के आसपास कई एस.सी. व एस.टी. के लोगो की बस्ती है जिनको परेशान करने के ध्येय से तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। अभिभाषक गैरनिगराकार वक्त बहस अनुपस्थित रहे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त निगरानी ग्राम पंचायत सुल्तानपुर द्वारा जारी पट्टा दिनांक 5.01.2002 के विरूद्व पेश की गई है। उक्त निगरानी में वकील निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते की भूमि में पट्टा जारी होना बताया है। गैर निगराकार द्वारा उक्त निगरानी मे यह भी बताया है कि ग्राम पंचायत द्वारा जिस भूमि पर पट्टा जारी किया गया है वह भूमि रास्तें के उपयोग में सार्वजनिक रूप से काम आ रही है। चूकि पट्टा ग्राम पंचायत सुल्तानपुर द्वारा जारी

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

किया गया है ग्राम पंचायत सुल्तानपुर अब कमोन्नत होकर नगर पालिका बन गई है। वकील निगराकार द्वारा अवगत करवाया है कि ग्राम पंचायत सुल्तानपुर द्वारा गैरनिगराकार को रास्ते की भूमि में पट्टा जारी किया गया है । उक्त रास्ते का उपयोग निगराकार के अलावा अन्य व्यक्ति भी कर रहे है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से निगरानी आंशिक रूप सें स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 5.01.2002 को गैरनिगराकार कम 1 के पक्ष में जारी पट्टें को निरस्त करते हुए नगर पालिका सुल्तानपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती कि अधिशाषी नगर पालिका पक्षकारान् को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्वत् निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15/5/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

मुद्रा

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ★ कोटा (राज.) ★